न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर
पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम {आर.ए.एस.}
प्रकरण संख्या : 581/2018 (जी.सी.एम.एस. 2018/00216)

प्रार्थीगण		अप्रार्थीगण
1. रामप्रकाश पुत्र किशन चन्द जाति कम्बो निवासी चक 53 जी जी तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।	बनाम	1. किशन चन्द पुत्र रामदिता जाति कम्बो निवासी चक 53 जी जी तहसील श्रीकरणपुर (मृतक)
2. जयराम पुत्र किशन चन्द जाति कम्बो निवासी चक 53 जी जी तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।		2. ओमप्रकाश पुत्र किशन चन्द जाति कम्बो निवासी वार्ड नम्बर 9 श्रीकरनपुर हाल निवासी मयजेल श्रीकरनपुर तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।
3. सुरज प्रकाश पुत्र किशन चन्द जाति कम्बो निवासी चक 53 जी जी तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।		3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार(राजस्व), श्रीकरनपुर।
4. पार्वती देवी पुत्री किशन चन्द पत्नि रामदिता जाति कम्बो निवासी चक 13 एफ एफ मानकसर तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर।		4. बिशनचन्द पुत्र रामदिता जाति कम्बोज निवासी 13 एफ एफ मानकसर तहसील श्रीकरणपुर।
5. निर्मला देवी पुत्री किशन चन्द पत्नि गौतम जाति कम्बो निवासी चक 13 एफ एफ मानकसर तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर।		5. ज्ञानचन्द पुत्र रामदिता जाति कम्बोज निवासी 13 एफ एफ मानकसर तहसील श्रीकरणपुर।
		6. खजान चन्द पुत्र रामदिता जाति कम्बोज निवासी 13 एफ एफ मानकसर तहसील श्रीकरणपुर।
		7. रमेश चन्द पुत्र पुत्र रामदिता जाति कम्बोज निवासी 13 एफ एफ मानकसर तहसील श्रीकरणपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू:- 04.07.2018

उपस्थितः 1.श्री अशोक कुमार जोशी अधिवक्ता प्रार्थीगण
2.श्री राजेन्द्र सिंह रमाणा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 4 ता 7

--निर्णय-- **दिनांकः 30.05.2024**

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम 13 एफ एफ, पटवार हल्का मानकसर, भू.अ.नि.क्षेत्र मानकसर, की जमाबंदी सम्वत 2069 ता 2072 के खाता संख्या 74/68 के मु0नं0 0 के किला नं0 0/3 के 0.065 है0 गैरमुमकिन रास्ता एंव मु0नं0 38 के 3.088 है0 नहरी, मु0नं0 52 के 6.135 है0 नहरी, मु0नं0 70/12 के 0.076 है0 गैरमुमकिन खाला व मु0नं0 70/26 के 0.126 है0 गैरमुमकिन खाला कुल क्षेत्रफल 9.490 है0 नहरी मय गैरमुमकिन रास्ता मय गैरमुमकिन खाला भूमि में वादीगण व प्रतिवादी सख्या 2 के पिता किशन चन्द पुत्र रामदिता प्रतिवादी सख्या 1 के नाम 1.054 हैक्टेयर भूमि खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। वादीगण के पिता किशन चन्द के नाम दर्ज उक्त तमाम 1.054 है0 भूमि पैतृक भूमि है जो वादीगण के पिता को अपने पूर्वजो से विरास्तन प्राप्त हुई है, जो जरिये विरास्तन इन्तकाल सख्या 380 दिनांक 20.05.2014 को प्राप्त हुई है। उक्त जद्दी जायदाद में वादीगण का हक व हिस्सा जन्म से है। जिसमें सभी वादीगण का 1/7 हिस्सा व दोनो प्रतिवादीगण सख्या 1 व 2 का भी 1/7, 1/7 हिस्सा बनता है। जिसको वादीगण अपने नाम खातेदारी घोषित करवाने पाने के अधिकारी एवं वादीगण अपने अपने हिस्सा की भूमि पर लगातार शांतिपूर्वक काबिज काश्त करते चले आ रहे है। उक्त भूमि वादीगण के पिता प्रतिवादी संख्या 1 किशन चन्द के नाम दर्ज होने के कारण प्रतिवादी संख्या 1 हम वादीगण को हमारे हिस्सा से महरूम करना चाहता है और हमारे हक व हिस्सा की भूमि को खुर्द बुर्द करना चाहता है क्योकि हमारी माता फौत हो चुकी है और हमारा दादा भी फौत हो चुका है। हमारा पिता किसी अन्य औरत के झांसे में आया हुआ है और उसी औरत के कहे अनुसार हमारे हिस्से की भूमि उसके नाम दर्ज करवाने पर अमादा है और हमें हमारा हिस्सा देना नही चाहता है एवं अवैध रूप से भूमि का हस्तान्तरण करना चाहता है और वादीगण को उनकी उक्त भूमि से बेदखल करना चाहता है। इस आश्य की धमकी दे रहा है कि मै तुम्हे कोई भूमि नही दूंगा। मै इस भूमि का बेचान अन्यत्र करके तुम्हे तुम्हारे हिस्सा से महरूम कर दूंगा तथा वह शीघ्र ही बैयनामा आदि करवाने की कोशिश मे है, यदि प्रतिवादी

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

संख्या 1 अपने मकसद में कामयाब हो जाता है तो वादीगण अपने हिस्सा व कब्जा की भूमि से महरूम हो जायेगे, जिससे वादीगण को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व मूल्य कोर्ट फीस पर है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए पेश कर अर्ज है कि चक 13 एफ एफ की जमाबंदी सम्वत 2069 ता 2072 के खाता संख्या 74/68 के मु0नं0 0 के किला नं0 0/3 के 0.065 है0 गैरमुमकिन खाला मय मु0नं0 38 के 3.088 है0 नहरी, मु0नं0 52 के 6.135 है0 नहरी, मु0नं0 70/12 के 0.076 है0 गैरमुमकिन खाला व मु0नं0 70/26 के 0.126 है0 गैरमुमकिन खाला कुल रकबा 9.490 है0 नहरी मय गैरमुमकिन रास्ता मय गैरमुमकिन खाला भूमि में से वादीगण के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 1.054 हैक्टेयर भूमि को प्रतिवादी संख्या 1 किशन चन्द किसी भी प्रकार से रहन, बैय, वसीयत, मुन्तकिल करने से बाज व ममनु रहे तथा वादीगण के कब्जा काश्त में दखल व उपभोग में स्वयं दखलअदाजी करने या अन्य किसी से दखलअंदाजी करवाने से बाज व ममनु रहे तथा मौका व रिकार्ड की यथस्थिति बनाये रखें। प्रार्थी अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 4 सीपीसी पेश किया। जो बाद सुनवाई स्वीकार किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं करने पर जवाब बन्द किया गया।

2. प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को तलबी नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री अजय कुमार बिश्नोई उपस्थित आए। प्रार्थीगण किशन चन्द पुत्र रामदिता आदि की ओर से अधिवक्ता श्री गजेन्द्र सिंह रमाणा के द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी पेश किया। जो बाद सुनवाई स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण बिशनचन्द, ज्ञानचन्द, खजानचन्द, रमेशचन्द को बतौर अप्रार्थी संख्या 4 ता 7 के रूप में संयोजित किया गया। अप्रार्थी संख्या 4 ता 7 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। जवाब प्रार्थना पत्र के अनुसार सही तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी संख्या 1 किशनचन्द तथा अप्रार्थी संख्या 4 ता 7 सगे भाई है, तथा अप्रार्थी संख्या 1 किशनचन्द को उनके नाना सुहावा राम वल्द भागू राम द्वारा गोद लिया गया था तथा सुहावा राम द्वारा अपने नाम की चक 53 जीजी 564 हिस्सा नहरी भूमि की वसीयत अपने दोहते यानि प्रार्थीगण के पिता एंव हम अप्रार्थी संख्या 4 ता 7 के भाई अप्रार्थी संख्या 1 किशनचन्द के नाम करवाई गई थी। अप्रार्थी संख्या 1 किशनचन्द द्वारा अपने नाम चक 13 एफ एफ के खाता संख्या 74/68 की 9.409 हैक्टेयर भूमि में से अपने नाम की 1.054 हैक्टेयर भूमि की पंजीकृत दस्तबरदारी हम अप्रार्थी संख्या 4 ता 7 के हक में दिनांक 21.06. 2018 को करवाई हुई है। उसके आधार पर हम अप्रार्थीगण खातेदार मालिक हो चुके है। पंजीकृत दस्तावेज को शून्य घोषित करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है। सिविल न्यायालय को है। प्रार्थीगण एंव अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को शुरू से ही बखूबी ज्ञान है। उक्त पंजीकृत दस्तबरदारी को शून्य घोषित करवाने के सम्बन्ध में प्रार्थीगण द्वारा किसी भी न्यायालय में प्रार्थना पत्र इत्यादि पेश नहीं किया है। ना ही वर्तमान वाद में उक्त पंजीकृत दस्तबरदारी के सम्बन्ध में कोई अनुतोष की मांग की गई है। जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थीगण स्वच्छ हाथों से न्यायालय में नहीं आए है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर अर्ज है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

3. हमने विद्वान अधिवक्तागण की बहस को विस्तारपूर्वक सुना। उस पर मनन किया, गौर किया। प्रार्थना पत्र एंव संलग्न दस्तावेजात, जवाब प्रार्थना पत्र एंव संलग्न दस्तावेजात का अध्ययन कर हम प्रकरण को निम्न 3 बिन्दूओं के आधार पर निर्णीत करना विधिसंगत समझते है:-

<u>A.प्रथम दृष्टया मामला</u>:- इसका अर्थ यह कतई नहीं है कि मामला पूर्णतया साबित कर दिया जाए, क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है। प्रथम दृष्टया मामला का तात्पर्य यह है कि वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुतः दस्तावेजात के अवलोकन मात्र से यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण हो कि वाद ग्रस्त आराजी में वादीगण को अनुतोष प्राप्त करने का प्रर्याप्त आधार हैं। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि चक 13 एफ एफ की जमाबंदी सम्वत 2069 ता 2072 के खाता संख्या 74/68 की कुल 9.490 हैक्टेयर भूमि में से अप्रार्थी संख्या 1 किशनचन्द के नाम दर्ज 1.054 हैक्टेयर भूमि पैतृक भूमि है। उक्त जद्दी जायदाद में वादीगण का हक व हिस्सा जन्म से है। जिसमें सभी वादीगण का 1/7 हिस्सा बनता है। उक्त भूमि वादीगण के पिता प्रतिवादी संख्या 1 किशन चन्द के नाम दर्ज होने के कारण प्रतिवादी संख्या 1 हम वादीगण को हमारे हिस्सा से महरूम करना चाहता है और हमारे हक व हिस्सा की भूमि को खुर्द बुर्द करना चाहता है। इसलिए उक्त भूमि की मौका व रिकार्ड की यथस्थिति बनाये रखें जाने के आदेश दिए जावे। जवाब प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी संख्या 4 ता 7 द्वारा कथन किये गये कि अप्रार्थी संख्या 1 किशनचन्द तथा अप्रार्थी संख्या 4 ता 7 सगे भाई है, तथा अप्रार्थी संख्या 1 किशनचन्द को उनके नाना सुहावा राम वल्द भागू राम द्वारा गोद लिया गया था तथा सुहावा राम द्वारा अपने नाम की चक 53 जीजी 564

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

हिस्सा नहरी भूमि की वसीयत अपने दोहते यानि प्रार्थीगण के पिता एंव हम अप्रार्थी संख्या 4 ता 7 के भाई अप्रार्थी संख्या 1 किशनचन्द के नाम करवाई गई थी। अप्रार्थी संख्या 1 किशनचन्द द्वारा अपने नाम चक 13 एफ एफ के खाता संख्या 74/68 की 9.409 हैक्टेयर भूमि में से अपने नाम की 1.054 हैक्टेयर भूमि की पंजीकृत दस्तबरदारी हम अप्रार्थी संख्या 4 ता 7 के हक में दिनांक 21.06.2018 को करवाई हुई है। उसके आधार पर हम अप्रार्थीगण खातेदार मालिक हो चुके है। पंजीकृत दस्तावेज को शून्य घोषित करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है। सिविल न्यायालय को है। प्रार्थीगण एंव अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को शुरू से ही बखूबी ज्ञान है। उक्त पंजीकृत दस्तबरदारी को शून्य घोषित करवाने के सम्बन्ध में प्रार्थीगण द्वारा किसी भी न्यायालय में प्रार्थना पत्र इत्यादि पेश नहीं किया है। ना ही वर्तमान वाद में उक्त पंजीकृत दस्तबरदारी के सम्बन्ध में कोई अनुतोष की मांग की गई है। जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थीगण स्वच्छ हाथों से न्यायालय में नहीं आए है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। लिहाजा प्रार्थीगण द्वारा हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1 किशनचन्द के विरूद्ध वादग्रस्त भूमि की मौका व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखे जाने बाबत अर्ज किया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 किशनचन्द के द्वारा वादपत्र व स्थगन प्रार्थना पत्र दायर होने से पूर्व ही वादग्रस्त भूमि की पंजीकृत दस्तबरदारी दिनांक 21.06.2018 को अप्रार्थी संख्या 4 ता 7 के पक्ष में निष्पादित करवा दी थी। अप्रार्थी संख्या 1 किशनचन्द फौत हो चुका है। प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया अनुतोष पंजीकृत दस्तबरदारी को निरस्त कर दिया जा सकता है और पंजीकृत दस्तबरदारी दिनांक 21.06.2018 को निरस्त व अवैध घोषित करने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है। लिहाजा प्रार्थीगण प्रथम दृष्टया मामला को अपने पक्ष में साबित करने में पूर्णतया असफल रहे है।

2.सुविधा का संतुलनः- अस्थाई व्यादेश के प्रकरण में सुविधा का संतुलन एक आवश्यक एंव महत्वपूर्ण घटक है, इसका सामान्य तात्पर्य है कि यानि हस्तगत प्रकरण में व्यादेश नहीं दिया तो प्रार्थीगण/वादीगण को अधिकतम असुविधा होगी। चूकिं वादग्रस्त आराजी के संबध में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण अपने पक्ष में साबित करने में पूर्णतया असफल रहे है। लिहाजा अप्रार्थी संख्या 1 किशनचन्द द्वारा अपने भाईयों अप्रार्थी संख्या 4 ता 7 के हक में निष्पादित करवाई गई पंजीकृत दस्तबरदारी के सम्बन्ध में वाद सुनने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है। अतः प्रार्थीगण सुविधा के संतुलन को भी अपने पक्ष में साबित करने पूर्णतया असफल रहे है।

3.अपूरणीय क्षतिः- चूंकि पूर्व विवेचित दोनो बिन्दू यथा प्रथम दृष्टया मामला तथा सुविधा का संतुलन दोनों बिन्दू प्रार्थीगण अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहे है। चूकिं वादग्रस्त आराजी के संबध में अस्थायी व्यादेश दिया जाता तो अप्रार्थी संख्या 4 ता 7 को अपूरणीय क्षति कारित होगी। अतः अपूरणीय क्षति का बिन्दू अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत प्रकरण के तीनों बिन्दू यथा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एंव अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण अपने पक्ष में साबित करने में पूर्णतया असफल रहे है। लिहाजा हम प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण को स्वीकार किया जाना विधिसंगत नहीं समझते है।

-:आदेशः-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण/वादीगण अंतर्गत धारा 212 आरटीए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत अस्थाई व्यादेश भली-भांति साबित नहीं होने एवं सारहीन होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पत्रावली इस कदर फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूलवाद के साथ संलग्न हो।

{श्योराम आर.ए.एस}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

निर्णय आज दिनांक 30.05.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

{श्योराम आर.ए.एस}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर